पुलिस आयुक्त का बीट सिस्टम जारी...फिर भी ओयो जैसे कमाई के नये-नये जरिए बन रहे

फरीदाबाद पुलिस के संरक्षण में चलते अय्याशी के अड्डे, हर पांच सौ मीटर पर अवैध ओयो

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: नीलम बाटा रोड पर दा अर्बन होटल एंड रेस्तरां पर बुधवार को मारे गए छापे में कुछ युवतियां और 70 लोग रंगरेलियां मनाते पकड़े गए। युवतियों को दूसरे शहरों से बुलाया गया था और 70 पकड़े गए लोगों में ढेर सारे लोहा व्यापारी और उनके दोस्त थे। यहां पर लोहा व्यापारियों ने आपस में 5 करोड़ की लॉटरी (कमेटी) डाली थी, उसी मौके पर सुरा-सुंदरी का इंतजाम था। दा अर्बन होटल ओयो के रूप में भी रजिस्टर्ड है। फरीदाबाद के किसी होटल में रंग-रेलियां मनाते हुए पकड़े जाने की यह पहली घटना नहीं है। शहर में ओयो रूम और स्पा सेंटर की आड़ में अय्याशी के अड्डे बढ़ते जा रहे हैं। तमाम इलाकों से रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और नागरिक संगठनों की शिकायतें पुलिस कमिश्नर आफिस में पहुंच रही हैं लेकिन वहां उन्हें फाइल कर दिया जाता है, उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती।

हर चौकी में आते हैं एक लाख

फरीदाबाद में हर 500 मीटर पर ओयो रूम खुल गए हैं। सभी अवैध रूम से खुले हुए हैं। अधिकांश कोठियों और घरों में चल रहे हैं जबकि सेक्टरों और अन्य रेजिडेंशल इलाकों में होटल चलाने की इजाजत नहीं है। हर पुलिस चौकी के तहत कम से कम पांच ओयो रूम जरूर हैं और एक ओयो रूम से कम से कम बीस हजार रुपये की रिश्वत पुलिस चौकी को पहुंचती है। जिसका ओयो रूम नहीं चलता है, वो भी बीस हजार रुपये देने को बाध्य है, क्योंकि पुलिस की ओर से यही रेट तय किया गया है। इस तरह हर चौकी को कम से कम एक लाख रुपये ओयो रूम के जरिए आ रहे हैं। एनआईटी इलाके की पुलिस चौकियों के क्षेत्र में ओयो रूम की भरमार है तो वहां आमदनी ज्यादा है। ओल्ड फरीदाबाद में राजीव चौक पर तो कुछ गेस्ट हाउसों या ओयो रूम में खुद पुलिस वाले आराम करने या अपने रिश्तेदारों को ठहराने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और तमाम अनैतिक गतिविधियों को अपने सामने होता हुआ देखते हैं।

दरअसल, ओयो एक राष्ट्रीय चेन है, जिसने हर शहर में बड़े पैमाने पर होटलों और गेस्ट हाउसों को अपना बोर्ड लगाने की अनुमति दी हुई है, जिसके बदले ओयो आनलाइन होटल बुकिंग सुविधा देता है। लेकिन फरीदाबाद और बाकी शहरों में

खुले सभी ओयो अब आनलाइन बुकिंग की बजाय आफलाइन बुकिंग कर रहे हैं। कोई भी युवक-युवती किसी भी ओयो में जाते हैं, उन्हें दो-तीन घंटे के लिए कमरा मिल जाता है। मस्ती करने के बाद वे कमरा छोड़ देते हैं। इसके बाद वही कमरा दूसरे युवक-युवती को दे दिया जाता है। इसमें ओयो चलाने वालों को खूब फायदा हो रहा है। उन्हें ओयो को इसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती क्योंकि ग्राहक तो आफलाइन आया है। कहने को ओयो चेन की तरफ से स्पष्ट आदेश है कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी अनैतिक गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी सारे काले धंधे उनकी नजरों के सामने हो रहे हैं।

एक कंपनी में चार ओयो एकसाथ

मथुरा रोड स्थित ड्यूरेबल कंपनी के परिसर में तो चार ओयो धड़ल्ले से चल रहे हैं। वर्षों से बंद पड़ी ड्यूरेबल कंपनी को ओल्ड फरीदाबाद के एक प्रॉपर्टी डीलर और कांग्रेस नेता ने एक केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर खरीदा और फिर यहां प्लॉट काटे, दुकानें आदि बना दीं। इसी परिसर में चारों ओयो धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन सभी ओयो में लड़कियां कार से या फिर मेट्रो से आ रही हैं। ज्यादातर ग्राहक लोकल होते हैं। कुछ में तो लोगों की जान पहचान होने की वजह से उनका कमरा और समय हर समय बुक रहता है। कुछ आयो वालों ने तो बाहर से आने वाली लड़कियों को ठहरने की सुविधा भी दे रखी है और वे भी ग्राहकों से उनकी बात कराने में बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं।

कौन है इनका सरगना

पुलिस सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद में यह धंधा बाकायदा संगठित ढंग से चलाया जा रहा है लेकिन कोई एक ही गिरोह इनके पीछे नहीं है। एक खास दबंग समुदाय के विजय नामक शख्स के फरीदाबाद में 6-7 ओयो हैं। उसके ओयो में लड़कियां उपलब्ध रहती हैं। लेकिन जब तक विजय की हरी झंडी नहीं मिलती है, तब तक लड़कियां उस ग्राहक के कमरे में जाती तक नहीं हैं। इसके अलावा दीपा नामक एक महिला का नाम भी इस संगठित धंधे में आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपा नामक यह महिला कभी स्कॉर्पियो में, कभी लंबी गाड़ियों में ग्राहक से मिलती

ओयो में देह व्यापार के अलावा लॉटरी, ड्रग्स और स्मगलिंग का भी धंधा

है। इसकी गाड़ी में अन्य लड़कियां भी होती हैं। उन्हें दीपा की गाड़ी में ही ग्राहक को पसंद कराया जाता है। फिर लड़की दीपा की गाड़ी से ग्राहक की गाड़ी में ट्रांसफर कर दी जाती है। कई बार दीपा या वो लड़कियां अपनी पसंद के ओयो में चलने के लिए ग्राहक पर दबाव डालते हैं।

पुलिस एक भी ओयो बंद नहीं करा सकी

फरीदाबाद के ओयो रूम्स में अय्याशी के अड्डे चल ही रहे हैं लेकिन हर ओयो में आए दिन खुदकुशी और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन पुलिस एक भी बदनाम ओयो को बंद नहीं करा सकी। कुछ ओयो में तो बाकायदा कैसीनो भी चल रहे हैं। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 पुलिस ने पिछले साल अगस्त और सितम्बर में एनआईटी और सेक्टर 21 में ओयो रूम्स में कैसीनो पकड़ा था लेकिन दोनों ओयो अब फिर से चल रहे हैं। क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 ने एनआईटी के ओयो रूम से दो लड़कियों समेत कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवतियां पूर्वोत्तर की रहने वाली है। यहां मालवीय नगर में रहती हैं। इनके पास से 1,03,450 रुपये नकद समेत 101 कैसीनो प्लेइंग कार्ड (ताश के पत्ते) व 500-500 रुपये के 1470 गेम चिंप (टोकन) बरामद किए गए थे। जिसकी कुल कीमत 7.35 लाख रुपये आंकी जा रही है। दोनों विदेशी लड़कियां खिलाड़ियों को रिझाने के लिए दिल्ली से बुलाई जाती थी।

कैसीनो खेलने के लिए तय स्थान के बारे में कुछ समय पहले ही ग्राहकों को व्हाट्सऐप पर सूचना दी जाती थी। खिलाड़ियों को रिझाने के लिए विदेशी लड़कियों को किराए पर दिल्ली से लाया जाता था। खेल शुरू होने से पहले ही टोकन बेची जाती थी। जिसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक होती थी।

क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने 21 अगस्त 2020 को एनआईटी क्षेत्र में एक मकान पर दबिश देकर मामले का भंडाफोड़ किया था। जिसमें छह आरोपी पकड़े थे। इनसे क्राइम ब्रांच ने 48,000 रुपये की 240 कैसीनो टोकन, 15380 रुपये नकद, 104 प्लेइंग कार्ड बरामद किए थे।

सेक्टर 21, 46, सेक्टर 15, एनआईटी 1, 2, 3, 5 से तमाम आरडब्ल्यूए ने ओयो रूम के खिलाफ शिकायतें की हैं लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। सेक्टर 21 में तो एक केंद्रीय मंत्री से जुड़े पार्षद की कोठी में खुलेआम ओयो चल रहा है, जिनमें बाहर से लड़कियां लाई जाती हैं। इलाके वाले लोग पुलिस अफसरों से शिकायक करके थक गए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है।

स्पा सेंटर कौन चलवा रहा

शहर में ओयो की ही तर्ज पर स्पा सेंटर चल रहे हैं, जहां लड़कियां पुरुषों का मसाज करती हैं। फिर उसी लड़की को किसी कमरे में जाने को कहा जाता है, जहां उसे वही ग्राहक मिलता है। ऐसे स्पा सेंटर बहुत सारे ओयो रूम के पास खोल दिए गए हैं। सेक्टर 19 में तो एक स्पा सेंटर एक विवादास्पद प्रॉपर्टी में हाल ही में बनाया गया है। कुछ स्पा सेंटर वालों ने चौकी के पुलिस वालों से जानपहचान भी बढ़ा रखी है। हाल ही में एक रोचक मामला सामने आया। पिछले दिनों एक स्पा सेंटर पकड़ा गया। उस स्पा सेंटर में एक पुलिस वाले ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जब वो स्पा सेंटर पकड़ा गया तो स्पा सेंटर में काम करने वाली महिला ने अपने मालिक को अवगत कराया। फिर उस महिला ने पति को सूचना दी।

इन्हें भी है कार्रवाई का अधिकार

शहर के रिहायशी इलाकों में खुले अवैध ओयो रूम्स पर कार्रवाई का अधिकार पुलिस के अलावा एमसीएफ और डीसी, एसडीएम को भी है। एमसीएफ जिस तरह रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देती और सीधे सील कर देती है, उसी तरह की कार्रवाई वो इन पर भी कर सकती है। लेकिन एमसीएफ के अफसर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

सेक्टर 21 में तो एक केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार पार्षद और कई प्रॉपर्टी में हिस्सेदार शख्स ने अपनी कोठी में ओयो रूम खोल रखा है। इसी तरह सेक्टर 21, 45, 46, सेक्टर 19 आदि में कई ओयो कोठियों में खुले हुए हैं लेकिन एमसीएफ खामोश है। डीसी फरीदाबाद यहां के जिला मैजिस्ट्रेट (डीएम) भी हैं। वो चाहें तो सीधे कार्रवाई कर ऐसी अनैतिक गतिविधियां बंद करा सकते हैं। एसडीएम और तहसीलदार को भी ये अधिकार है। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की ही है, क्योंकि ये मामला सीधे संगठित अपराध से जुड़ा है।

फायर अफसर आर.एस. दहिया निलम्बित

तिकोना पार्क की दुकानों, मॉल्स, अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने सहायक क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी (एडीएफओ) राजेंद्र सिंह दहिया को शुक्रवार को निलम्बित कर दिया है। उन्हें निलम्बन के दौरान पंचकुला मुख्यालय से अटैच किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा) एस.एन. रॉय ने दहिया का निलम्बन आदेश जारी किया है। आदेश में कोई वजह नहीं बताई गई है। लेकिन वजह का संबंध फरीदाबाद से है।

दहिया पर आरोप है कि उसने तिकोना पार्क के कई व्यावसायिक भवनों, मॉल्स और अस्पतालों में फायर एनओसी न होने पर कोई कार्रवाई नहीं की। तिकोना पार्क स्थित श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल बिना फायर एनओसी शुरू कर दिया गया। इसके बाद कोविड 19 की दूसरी लहर में यहां कोविड सेंटर भी शुरू कर दिया गया लेकिन तब भी फायर एनओसी नहीं ली गई। यह फायर अफसर की जिम्मेदारी थी कि फायर एनओसी न लेने वालों को वह नोटिस जारी करता, उन पर कार्रवाई करता।

सूत्रों के मुताबिक एमसीएफ के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान ने तिकोना पार्क की 12 साइटों की जांच की थी। इनमें से किसी के पास फायर उपकरण नहीं थे। इन व्यावसायिक भवनों के मालिकों ने अग्निशमन विभाग से कोई एनओसी भी नहीं ली थी। इधर एनआईटी के विभिन्न इलाकों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में सभी भवनों और संस्थाओं के लिए फायर एनओसी जरूरी है। लेकिन फरीदाबाद में तो उसकी भी धज्जियां उड़ गईं।

सूत्रों के मुताबिक एमसीएफ के ज्वाइंट कमिश्नर अटकान ने फायर ब्रिगेड के डायरेक्टर को इस संबंध में एक रिपोर्ट भी भेजी थी। समझा जाता है कि उसी रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्टर ने एस.एन. रॉय को राजेंद्र सिंह दहिया को निलम्बित करने की सिफारिश की। आग का मामला इतना संवेदनशील है कि एस.एन. रॉय न चाहते हुए भी दहिया को बचा नहीं पाए।

रिश्वत से मिलती है फायर एनओसी

फायर एनओसी जारी करने में अग्निशमन अधिकारी से लेकर एमसीएफ की भूमिका है। लेकिन असली भूमिका फायर ब्रिगेड की है। फायर एनओसी की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि कोई दुकानदार या मॉल्स वाला शायद ही पूरी कर पाए। लेकिन फरीदाबाद फायर ब्रिगेड के अधिकारी मोटी रिश्वत लेकर एनओसी जारी कर देते हैं। जिस भवन को एनओसी जारी की जाती है, उसमें रास्ता और आधुनिक फायर उपकरण और अलार्म लगे होने चाहिए। हर बड़ी बिल्डिंग में एक ऐसी जगह तय की जाती है, जहां इमरजेंसी में सभी लोग जमा होंगे और उन्हें फायर ब्रिगेड निकालेगा। इसी तरह से हर मॉल, दुकान और संस्थानों को कम से कम तीन महीने फायर की एक मॉक ड्रिल करनी होती है ताकि उसके कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा सके। लेकिन फरीदाबाद की तमाम बिल्डिंगों में इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

अस्पतालों ने नियम तोड़े

फायर ब्रिगेड अफसरों ने रिश्वत खाकर आंखें बंद कर लीं लेकिन अस्पतालों के मामले में फायर ब्रिगेड की उदासीनता अक्षम्य अपराध है। तिकोना पार्क में श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है। अस्पताल ने कभी एनओसी के लिए आवेदन ही नहीं किया लेकिन फायर ब्रिगेड के अफसर तमाम वीआईपी के साथ यहां होने वाले कार्यक्रमों में तो आते रहे लेकिन कभी गलती से नहीं पूछा कि अस्पताल ने एनओसी के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। अगर अधिकारी यहां फायर अलार्म लगवा देते तो भी गनीमत था। जिला ग्रीवेन्स कमेटी की पिछली बैठक में खुद डीसी यशपाल यादव ने कहा था कि उन्होंने श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल का दौरा किया था। अस्पताल वालों ने सड़क पर भी जगह घेर रखी है। लेकिन सवाल यह है कि जब डीसी ने खुद मौका देखा तो कार्रवाई क्यों नहीं कराई।

मथुरा रोड पर बनने एसएसबी अस्पताल का भी यही हाल है। यहां फायर ब्रिगेड के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अस्पताल में सभी जगह फायर अलार्म नहीं लगे हैं। अस्पताल में फायर ब्रिगेड के वाहन जाने के रास्ते ठीक नहीं हैं। ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन एसएसबी का मालिक चूंकी एफएमडीए का सदस्य है, इसलिए वहां फायर ब्रिगेड वाला जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है।